2/6/22 ...हीलर अधिवक्ता अग्रवादी उपस्थित। अधिवक्ता अग्रवादी द्वारा पत्रावली पर पेश करने हेतु अन्तिम समय चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वादी उपजाए पर दिनांक 16/05/2022 को पेश हो।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

16/5/22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हीलर अधिवक्ता अग्रवादी उपस्थित। अधिवक्ता अग्रवादी द्वारा पत्रावली पर पेश करने हेतु अन्तिम समय चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वादी उपजाए दिनांक 21/6/22 को पेश हो।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:40:15 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

21/6/22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हीलर नहीं आए। वादी का न्यायालय समय समाप्त होने तक इन्तजार कर अपील खारिज की गई, किन्तु कोई हाजिर नहीं आए। अधिवक्ता हीलर नहीं आने से अधिवक्ता का प्रावधान अनुसार 212 RCA 1955 के अंतर्गत अपील खारिज की खारिज किया जाता है। पत्रावली को रामनाथ निर्धारित इन्डाज की जाकर अन्य आवश्यक कार्यवाही अभिलेखाम भेजी जावे। निर्णय मुक्ति न्यायालय से सुनाया जाकर हस्ताक्षर किए।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
21/06/22